

(274)

बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०
अशोक राज पथ, पटना-04

सूचना

अनुबंध/प्रतिनियुक्त पर मुख्य निगरानी पदाधिकारी की नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन-सं-4690
बिहार राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय, पटना में मुख्य निगरानी पदाधिकारी की अनुबंध पर
नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है जिसकी शर्तें अघोलिखित हैं:

- ग्रामिण बैंक या राष्ट्रीयकृत व्यवसायिक बैंको, नाबार्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ए.जी.एम स्तर से अन्यून स्तर के पदाधिकारी ।
- आवेदक अगर अपने संस्थान में कार्यरत है तो उनके संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र देने पर तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्त पर लिया जा सकता है ।
- 62 वर्ष तक के उम्र तक के सेवानिवृत्त भी आवेदन कर सकते हैं । जिन्हें तीन वर्षों के लिए रखा जा सकता है ।
- सेवारत आवेदको को वही वेतन, भत्ता, सुविधा मान्य होगा जो उनके पैतृक संस्था द्वारा दिया जा रहा है, इसके अतिरिक्त वेतन का 4 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता देया होगा ।
- सेवानिवृत्त कर्मियों को मात्र 50,000/- (पच्चास हजार) रूपये प्रतिमाह पारिश्रमिक देय होगा, जिसपर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत तक वृद्धि देय होगा ।
- आवेदक का Clean track record and Performance appraisal reports (last five Year) होना अनिवार्य होगा साथ ही पीछले पाँच वर्षों में उनके कार्यालय द्वारा लिये गये कार्यों का विवरणी साक्ष्य सहित आवेदक /नियोक्त द्वारा उपलब्ध कराना होगा ।
- आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25/11/2019 है ।
- जानकारी बैंक के वेबसाइट biharbank.bin.nic.in पर भी उपलब्ध है ।
- मुख्य निगरानी पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु आवेदन के स्कूटनी के उपरांत योग्य आवेदक को साक्षात्कार के लिए सूचित किया जायेगा ।
- वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर निबंधित डाक द्वारा नीचे दिये गये पता पर भेजा जाना है ।
- आवेदनकर्ता आवेदन के साथ मो० 5000/- (पाँच हजार मात्र) का आवेदन शुल्क जो दि बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के पक्ष में ड्राफ्ट संलग्न करेंगे, जिसका पेयबल पटना होगा ।

(चन्द्रशेखर सिंह)

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०
अशोक राज पथ, पटना-4

उप महाप्रबन्धक